190

समक्ष : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म0प्र0)

रेस्टोरशन /2016 रेस्टो - 9079 - I -16

श्रीमती सगुनिया बेबा हरि लुहार निवासी ग्राम साकिन लमतरा तहसील शाहनगर जिला पन्ना म.प्र. ।

.......आवेदक

दिनांक 28.5.16 को श्री सुनील सिंह जादौन अभि0 द्वारा प्रस्तुत।

विरूद्ध

1. गोविन्द प्रसाद परोहा पुत्र शिवनाथ परौहा निवासी ग्राम लमतरा तहसील शाहनगर जिला पन्ना म.प्र
2. पार्वती बाई पुत्री बिहार लोहार
3. कल्लू बाई पुत्री बिहार लोहार निवासीगण ग्राम लमतरा तहसील शाहनगर जिला पन्ना म.प्र.

..........अनावेदकगण

28.5.16

आवेदन वास्ते प्रकरण को पुनःरेस्टोरेशन किये जाने वावत भू-राज्य संहिता 1959 की धारा 35 व सहपठित धारा 32 के तहत

श्रीमान जी,

आवेदक की ओर से आवेदनपत्र निम्नानुसार है। :-

1. यहकि, आवेदक द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष निगरानी क 3173/तीन/2014 प्रस्तुत की गई थी जो निगरानी अधिनस्थ न्यायालय के रिर्काड व अनावेदक पक्ष की तामील हेतु चल रही थी जिसमे पेशी दिनांक 20-5-2016 नियत थी ।
2. यहकि, श्रीमान महोदय द्वारा आवेदक अभिभाषक की अनुपस्थिति में प्रकरण को अपने आदेश दिनांक 20.5.2016 से प्रकरण को अदम पैरवी मे निरस्त कर दिया गया हैं जिससे दुखित होकर यह आवेदन पत्र साधर प्रस्तुत है।
3. यहकि, उक्त प्रकरण अर्जेन्ट नेचर का जिसका पुनः स्थापित किया जाना न्याय संगत है। क्योकि आवेदक को प्रकरण गुण दोषो पर निराकरण किया जाना न्याय संगत है। अगर प्रकरण का गुण दोशो पर निराकरण न्ही किया गया तो आवेदक पक्ष को न्याय से वचित हो जावेगी। जिसकी पूर्ती जीवन भर की जाना असम्भव है।
4. ,यहकि, उक्त प्रकरण पहले श्रीमान आशीष श्रीवास्तव सदस्य राजस्व मण्डल के समक्ष चल रहा था नवीन डिस्ट्रूवेशन केसो का होने से श्रीमान के समक्ष आ गया जिसका पता अभिभाषक को नही चल पााया जिसकी चूक व भूल की वजह से अभिभाषक प्रकरण मे उपस्थिति नही हो सका इसलिये अभिभाषक की चूक की वजह से आवेदक पक्षकार का अहित नही होना चाहिए न्याय हित मे प्रकरण को पुनः स्थापित कर गुण दोषो पर अंतिम निराकरण किया जाना न्याय संगत है।
5. यहकि, अन्यु विन्दु सुनवाई के समय उठावे जावेगे।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि आवेदक का रेस्टोरेशन आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी क 3173/तीन/2014 मे पारित आदेश दिनांक 20.5.16 को निरस्त करते हुये प्रकरण को पुनः स्थापित जीवित करते हुये वहाल करते हुये पुनः नम्बर पर लेते हुये गुण दोषो पर निराकरण किया जाना न्याय संगत है।

आवेदक
श्रीमती सगुनिया बेबा हरी
द्वारा अभिभाषक सुनील सिह जादौन
एडवोकेट

दिनांक 28.5.16

रे.रा. 9079-बी/16 ([illegible])

18-10-16

(संदर्भ)

आवेदक अधि. श्री सुनील सिंह
आवेदन द्वारा Rs 500/- आदेश की
रसीद नं० 5893 Serial no 47
दिनांक 5-9-16 प्रस्तुत की गई। प्रकरण
रजिस्टर्ड किया जावे प्रकरण समाप्त
होकर दा० खि० हो।

Certified 18-10-16

B/18